न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/16/2019 दायर दिनांक 13.09.2019

उनवान

1. सरदारसिंह पिता धुकलसिंह जाति राजपूत निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन फोत के बजाय–

   1/1–किशनसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   1/2–लाडकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   1/3–प्रेमकंवर पत्नी सरदारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   1/4– मोहनकंवर पत्नी सरदारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रार्थीगण।

बनाम

1. भंवरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत फोत के बजाय–

   1/1– भैरूसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   1/2– पारसकंवर पिता भंवरसिह पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध हाल गुलाबपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   1/3– सज्जनकंवर पिता भंवरसिह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   1/4– सुरजकंवर पिता भंवरसिह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मोहनसिंह पिता रामसिह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदनसिंह पिता रामसिह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी अरनिया बांध तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–अप्रार्थीगण।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः 07.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय:–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त अनवान की पत्रावली में अन्तिम तारीख पेशी 26.07.2019 को नियत रखी गयी थी।

यह कि पत्रावली संख्या 5/2009 रेवेन्यु वाद में गत एक वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं चल कर राजस्व केम्प लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा शिविरों के समाप्ति के उपरान्त पत्रावली बस्ता खामोश में पडी थी। दिनांक 26.07.2019 को पत्रावली में नियत पेशी की जानकारी मुझ प्रार्थी वादी को नहीं थी। न ही मेरे द्वारा नियुक्त स्थानीय अधिवक्ता श्री अनिल नामधर द्वारा मुझे सूचित किया गया और न ही चित्तौड़गढ़ में व्यवसायरत मुख्य अधिवक्ता श्री श्यामलाल जी दायमा द्वारा मुझे सूचित किया गया जिससे नियत तारीख पेशी पर न तो मैं स्वयं उपस्थित हो पाया न ही मेरे अधिवक्तागण ही उपस्थित हो पाये जिससे वादपत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित कर दिया गया।

यह कि वादपत्र वादी के खातेदारी की कृषि भूमि से संबंधित होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक होने से वादपत्र पुर्नःसंस्थित किये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश है।

यह कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2019 की सर्वप्रथम जानकारी तारीख पेशी की जानकारी करने हेतू कपासन न्यायालय परिसर में एडवोकेट अनिल जी नामधर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को हुई, जानकारी होते ही नकल हेतू आवेदन पत्र पेश किया। बाद तैयारी नकल आदेश प्राप्ति के अन्दर अवधि 30 दिन में पेश है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 5/2007 रेवेन्यु वाद निर्णित दिनांक 26.07.2019 को पुर्नः संस्थित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 31.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–

1. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 स्वीकार है।

2. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 प्रकरण में बराबर पेशी होती रही है। तथा प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को इसकी जानकारी थी तथा पेशी व मुकदमे की जानकारी रखने की उनकी जिम्मेदारी थी और लापरवाही रखने से अदम हाजरी व अदम साक्ष्य में वादपत्र खारिज किया गया है जो न्यायोचित है।

3. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 न्यायालय में सभी प्रकरण कृषि भूमि से संबंधित ही होते है व अनुपस्थिति में उचित आदेश दिया गया है।

4. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 इस कॉलम में स्वयं प्रार्थी द्वारा दावा अदम हाजिरी में खारिज होने की सूचना उनके अधिवक्ता अनिल जी नामधर से होना बताया है जबकि पूर्व में विवादित कथन किया गया है।

5. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 शपथ पत्र झूठा व निराधार है।

6. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 न्यायालय [illegible]रणीय है।

7. अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में अनुपस्थिति का संतोषप्रद व उचित कारण नहीं बताया गया है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कॉलम संख्या 1 में निवेदन किया है कि पत्रावली में दिनांक 26.07.2019 को पेशी नियत थी जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थी को नहीं थी। साथ ही कॉलम संख्या 4 में निवेदन किया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2019 की सर्वप्रथम जानकारी करने हेतु कपासन न्यायालय परिसर में अधिवक्ता श्री अनिल नामधर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को हुई जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया। प्रार्थी द्वारा अपने ही प्रार्थना पत्र में पेशी की जानकारी होना व नहीं होना दर्शाया है। साथ ही मूल वाद 05/2007 को नम्बर पर लिये जाने हेतु दिनांक 26.07.2019 को अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई ठोस तथ्य व उचित कारण नहीं बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested